कार्यालय नगर पालिका परिषद पिहानी-हरदोई।

Website- pihaninpp.in
Email-eonpppihanihr_up@nic.in
nagarpalikapihani@gmail.com
Telephone-05853-262242

सार्वजनिक सूचना/प्रेस विज्ञप्ति

पत्रांक :- 356 /न0पा0परि0पिहानी/मा0रा0हरितअधि0-अनुपालन/2016-2017/2016, दिनांक - 10/11/16

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ, द्वारा दिनांक 07.11.2016 को लिये गये स्वतः संज्ञान के सम्बन्ध में दिनांक 08.11.2016 को शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा सिविल मिस रिट याचिका संख्या 26791/2016 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2016 व तत्क्रम में नगर विकास विभाग उ0प्र0 के शासनादेश दिनांक 04.11.2016, 08.11.2016 एवं 09.11.2016 के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स एवं एन0जी0एक्ट 2010 के अन्तर्गत शहरों एवं नगरीय क्षेत्रों के किसी भी स्थान पर कूड़ा जलाने तथा भवन निर्माण सामग्री के अवशेष को सड़कों के किनारे रखे जाने को प्रतिबंधित किया गया है।

मा0 न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन करने पर एन.जी.एक्ट-2010 की धारा 15 एवं 16 में किये गये प्राविधानों के अनुसार सड़कों के किनारे भवन निर्माण सामग्री के अवशेष को रखे जाने पर रू0 50,000.00 एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने तथा जलाये जाने पर प्रत्येक घटना के लिये रू0 5000.00 (पांच हजार) मात्र का आर्थिक दण्ड अधिरोपित कररने के निर्देश दिये गये हैं।

अतएव उक्त के क्रम में नगर पालिका परिषद पिहानी अपनी समस्त सम्मानित जनता से अपील करती है कि, भवन निर्माण सामग्री के अवशेष को किसी भी दशा में सड़कों के किनारे न एकत्रित करें तथा अपने घरों/दुकानों आदि के कूड़े को कूड़दान में ही एकत्रित करें। कूड़े को सड़क पर न फेंके। और न ही कूड़े को जलायें।

यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है तो पालिका द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916/एन.जी. एक्ट-2010 के प्राविधानों के अनुसार अर्थदण्ड/जुर्माना/चालान आदि की कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का ही होगा।

पी0एन0 दीक्षित
अधिशासी अधिकारी

प्रतिलिपिः संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

1. समस्त सम्वाददाता, दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक अमर उजाला, दैनिक आज को इस अनुरोध से कि, अपने समाचार पत्र में विज्ञप्ति का निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
2. माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद पिहानी की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. श्री रामलाल, प्रभारी सफाई व्यवस्था को इस निर्देश से कि, उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये आख्या उपलब्ध करायें व वाहन चालकों को कूड़ा डम्पिंग ग्राउण्ड पर ही ले जाने हेतु पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।
4. श्री अरूण कुमार अग्निहोत्री, कम्प्यूटर आपरेटर, न0पा0परि0 पिहानी को विज्ञप्ति पालिका वेबसाइट/फेसबुक पेज पर अपलोड करने एवं निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को ईमेल से प्रेषित करने हेतु।
5. श्री रमाकान्त सफाई नायक, को इस निर्देश से कि, समस्त सफाई कर्मचारियों को सूचित कर दें कि, नगरीय ठोस अपशिष्ट को किसी भी दशा में सड़क पर या सड़क के किनारे न फेकें और न ही उसे जलाये। उसे समुचित रूप से एकत्रित कराते हुये पालिका डम्पिग ग्राउण्ड पर एकत्रित कराना सुनिश्चित करें।

पी0एन0 दीक्षित
अधिशासी अधिकारी